न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 250/2022

अनवान मुकदमा –

1. भंवर लाल पुत्र रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हरी शंकर पुत्र रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. रावत सिंह पुत्र पन्नाराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पुष्पा देवी पुत्री रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री चाननराम, अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2

–:: निर्णय :–

दिनांक –20/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एसटीजी–ए के खाता सं. 49/41 के प.नं. 14/350 (13) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 13, 14 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 की 4.048 हैक. नाली प्रथम अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी व चक 23 पीबीएन के खाता सं. 187/144 के प.नं. 13/347 (91) किला नं. 23 ता 25 की 0.759 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्नं वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता पन्नाराम से प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं.1 जो कि वादीगण के पिता है व प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादीगण की सगी बहन है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमे प्रतिवादी सं.2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के लिये छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 36 एसटीजी–ए के खाता सं. 49/41 के प.नं. 14/350 (13) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 की 4.048 हैक. नाली प्रथम अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि वादीगण को ब.हि.ब. प्राप्त हुई है शेष भूमि प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त हुई है। वादीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करते आ रहे है परन्तु वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वादीगण नें प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 7 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एसटीजी-ए के खाता सं. 49/41 के प.नं. 14/350 (13) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 की कुल 4.048 हैक. नाली प्रधम अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि [illegible] कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि [illegible] के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा [illegible] की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एसटीजी-ए के खाता सं. 49/41 के प.नं. 14/350(13) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 13, 14, 15/1, 15/2,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 की कुल 4.048 हैक. नाली प्रथम अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

20.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 250/2022

अनवान मुकदमा –

1. भंवर लाल पुत्र रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हरी शंकर पुत्र रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. रावत सिंह पुत्र पन्नाराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पुष्पा देवी पुत्री रावताराम जाति सुथार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20/06/2022

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री चाननराम, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एसटीजी–ए के खाता सं. 49/41 के प.नं. 14/350(13) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 की कुल 4.048 हैक. नाली प्रथम अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 20/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:13 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा